झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 30 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री सेठा सिंह
ग्राम-बारीपहटान, पंचायत-कुचिला,
प्रखण्ड-बरवाडीह, जिला-लातेहार

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा० लातेहार।
PDS वितरक - प्रमीला कुंवर, अनु०सं०-01/15

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–30/2023 परिवादी श्री सेठा सिंह, ग्राम–बारीचट्टान, पंचायत–कुचिला, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार का परिवाद–पत्र आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये वाट्सएप्प नं0 पर प्राप्त हुआ। परिवादी का आरोप है कि उनका राशन कार्ड मई, 2016 में बना है, किन्तु डीलर द्वारा आज तक उन्हें राशन नहीं दिया गया है। यह भी कि राशन डीलर द्वारा उनके कार्ड सं0–202006315507 से फर्जी तरीके से राशन का उठाव भी किया गया है। परिवादी ने राशन कार्ड जारी किये जाने से अब तक के कुल उठाव किये गये राशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। प्राप्त परिवाद–पत्र में लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में जाँच हेतु विगत एक वर्ष (माह जुलाई, 2022 से जून, 2023) का राशन उठाव से सम्बन्धित उपलब्ध आंकड़ों का आहार पोर्टल पर अवलोकन किया गया। आहार पोर्टल पर अवलोकन के क्रम में पाया गया कि परिवादी के राशन कार्ड से इस अवधि में माह जुलाई, 2022, अक्टूबर, 2022 एवं दिसम्बर, 2022 में अपवाद पंजी के माध्यम से राशन का उठाव किया गया है। शेष माह में उक्त राशन कार्ड से उठाव शून्य प्रदर्शित हो रहा है। परिवादी का यह आरोप कि उनके राशन कार्ड से फर्जी तरीके से राशन का उठाव किया गया है, गंभीर मामला है। अतः प्राप्त परिवाद–पत्र के मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार एवं सम्बन्धित PDS दुकानदार को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–10.07.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान सम्बन्धित PDS दुकानदार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया जाय। दिनांक–10.07.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें। 19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 19/6/23 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx35	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–30 / 2023	
10.07.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री सेठा सिंह, ग्राम–बारीचट्टान, पंचायत–कुचिला, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्ता श्री सेठा सिंह ने Telephonic conference के माध्यम से हो रही सुनवाई के दौरान बताया कि आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने भी शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिये जाने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान आयोग के संज्ञान में यह बात सामने लाई गई कि शिकायतकर्ता के आधार को जब राशन कार्ड से लिंक किया गया तो यह बात संज्ञान में आई कि शिकायतकर्ता ने दो जगह से अपना राशन कार्ड बनवाया हुआ था। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि अन्य जगह जहाँ से शिकायतकर्ता ने अब तक राशन का उठाव नहीं किया है, उस राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय और यदि पिछले 07 माह का बकाया राशन उपलब्ध कराये जाने के किसी माह में यदि शिकायतकर्ता ने दूसरे राशन कार्ड से किसी अन्य राशन दुकान से राशन का उठाव किया है तो शिकायतकर्ता से उस राशन की वसूली की जाय और यदि उठाव नहीं किया गया है तो फिलहाल जिस राशन दुकान से बकाया राशन उपलब्ध कराया गया है, वहाँ उन्हें नियमित तौर पर राशन उपलब्ध कराया जाय। ताकि भविष्य में शिकायतकर्ता राशन उपलब्ध न होने की शिकायत दर्ज न कराये। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 13.7.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx83	